न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 154/2024(GCMS : 2024/229)

Bandhan Bank Limited, DN-32, Sector V, Salt Lake City, Kolkata, West Bengal-700091 **Regional Office Address** Bandhan Bank Ltd. Nataji Marg, Near Mithakhali Six Roads, Ellisbridge, Ahmedabad, Gujrat-380006, **Sriganganagar Branch Address** : Bandhan Bank Limited , Plot No. 44, K-Block, Ground Floor, Near Tandon Laboratory Sriganganagar-335001 **Through Authorized Officer Mr. Bhupendra Singh**

बनाम

1. **Mr. Gopal Poonia** Address 177 Gangaur Nagar , Srigangangar, Rajasthan-335001
2. **Mr. Prabhati Devi** Address 177 Gangaur Nagar , Srigangangar, Rajasthan-335001
3. **Mr. Pravin Kumar** Address Shakti Nagar, Gali No. 4, Infront of Tarachand Shop, Purani Abadi, Sriganganagar, Rajasthan-335001
4. **Mr. Subhash Chander Garg** Address 177 Gangaur Nagar , Srigangangar, Rajasthan-335001

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19.11.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री कमल जोशी ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण गोपाल पूनिया, प्रभाती देवी, प्रवीण कुमार एवं सुभाष चन्द्र गर्ग को ऋण सुविधा के रूप में 4.50/– लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 17.02.2010 को प्रदान की थी, अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 21.02.2024 को 3,84,173/– रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी प्रभाती देवी द्वारा बंधक रखी अपनी अचल आवासीय सम्पत्ति किला नं. 4, मुरब्बा संख्या 37/48, चक संख्या 1–ए छोटी, श्रीगंगानगर, राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति का अविभाज्य अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 800 वर्गफुट है।** (उक्त सम्पत्ति की चारों सीमाएं इस प्रकार में – दुकानें, दक्षिण मे –अन्य मकान, पूर्व में – गली, पश्चिम में अन्य मकान), का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:44:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण गोपाल पूनियां, प्रभाती देवी, प्रवीण कुमार एवं सुभाष चन्द्र गर्ग** को ऋण सुविधा के रूप में 4.50/— लाख रूपये **(अखये रूपये चार लाख पचास हजार मात्र) की स्वीकृति दिनांक 17.02.2010 को प्रदान की थी** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी प्रभाती देवी ने अपनी **अचल आवासीय सम्पत्ति किला नं. 4, मुरब्बा संख्या 37/48, चक संख्या 1—ए छोटी, श्रीगंगानगर, राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है। सिजका कुल क्षेत्रफल 800 वर्गफुट है। (उक्त सम्पत्ति की चारों सीमाएं : उत्तर में — दुकानें, दक्षिण मे —अन्य मकान, पूर्व में — रोड़, पश्चिम में — अन्य मकान), को** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 04.07.2023 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे। पत्रावली में उपलब्ध पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक के अनुसार समस्त अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस प्राप्त नहीं हुए। इसलिए प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) का नोटिस अप्रार्थीगण की सम्पत्ति पर चस्पा कर दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाये है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में है आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस का तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:44:30 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी प्रभाती देवी की अचल आवासीय सम्पत्ति किला नं. 4, मुरब्बा संख्या 37/48, चक संख्या 1—ए छोटी, श्रीगंगानगर, राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है। सिजका कुल क्षेत्रफल 800 वर्गफुट है। (उक्त सम्पत्ति की चारों सीमाएं : उत्तर में — दुकानें, दक्षिण मे —अन्य मकान, पूर्व में — रोड़, पश्चिम में — अन्य मकान), जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 21.02.2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 21.02.2024 को ही भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के पोस्ट आफिस द्वारा ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण गोपाल तथा प्रभाती देवी को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है परन्तु अप्रार्थीगण प्रवीण कुमार एवं सुभाष चन्द्र के नोटिस लेने से इंकार की रिपोर्ट के साथ प्रार्थी बैंक को प्राप्त हो गये है। इस पर प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) का नोटिस उनकी सम्पत्ति पर चस्पा कर दो समचार पत्रों इण्डियन एक्सप्रैस एवं प्रभात अभिनन्दन में दिनांक 05.05.2024 को प्रकाशित करवाये है। जिसके अनुसार समस्त अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित हैं। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही **शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया**। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी **प्रभाती देवी** द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:44:30 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बंधन बैंक लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी **प्रभाती देवी द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल आवासीय सम्पत्ति किला नं. 4, मुरब्बा संख्या 37/48, चक संख्या 1—ए छोटी, श्रीगंगानगर, राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है। सिजका कुल क्षेत्रफल 800 वर्गफुट है। (उक्त सम्पत्ति की चारों सीमाएं : उत्तर में — दुकानें, दक्षिण मे —अन्य मकान, पूर्व में — रोड़, पश्चिम में — अन्य मकान), का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:44:30 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर